

पूर्व मध्य रेल

महाप्रबंधक (परिचालन) का कार्यालय  
हाजीपुर.

संख्या- ईसीआर/परि.संरक्षा/जे.पी.ओ./46/505,

दिनांक- 19.06.2023

वरीय मण्डल परिचालन प्रबंधक

पूर्व मध्य रेल

धनबाद, दानापुर, डीडीयू, सोनपुर, समस्तीपुर।

विषय- रेलवे बोर्ड के संयुक्त कार्यविधि आदेश (JPO) दिनांक - 10.06.2023 में सुधार किया गया है जिसका हिन्दी संस्करण (एस एंड टी गियर्स के लिए डिस्कनेक्शन/रिकनेक्शन प्रोटोकॉल)।

संदर्भ:- Joint Dir.Traffic Trans.-III, Railway Board letter no. 2023/TT-IV/9/2; Dated- 16.06.2023

रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किए गए (संयुक्त कार्यविधि आदेश दिनांक 10.06.2023) में संदर्भित पत्र (ii) द्वारा सुधार किया गया है। संशोधित कार्यविधि आदेश हिन्दी संस्करण (एस एंड टी गियर्स के लिए डिस्कनेक्शन/रिकनेक्शन प्रोटोकॉल) के साथ प्रेषित की जा रही है जिसे सर्व संबंधित को मुहैया कर इसका अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: संदर्भित पत्र एवं उसका हिन्दी संस्करण।

प्रतिलिपि :-

1. PCOM के निजी सचिव-I को PCOM महोदय के सूचनार्थ।
2. मुख्यालय के सभी अधिकारीगण(परि.) को सूचनार्थ।
3. प्राचार्य ZRTI/MFP & Bhuli

राजपति  
19.06.2023  
(राजपति झा)

उप मुख्य परिचालन प्रबंधक सामान्य/  
हाजीपुर।

**GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)  
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)  
RAILWAY BOARD**

No.2023/TT-IV/9/2

New Delhi dated 16.06.2023

**The General Managers  
All Zonal Railways**

**Sub:** Joint Procedure Order- Disconnection/Reconnection Protocols for S&T Gears.  
**Ref:** Boards' JPO No. 2021//Sig./21/Safety Performance dated 10.06.2023.

\*\*\*\*\*

It has been decided by the Board to amend the the para Nos. 2.3 and 2.4 of the above referred Joint Procedure Order. Amended Paras are as follows:

**Para 2.3:** After completion of work, prior to acceptance of reconnection by SM, the correspondence test of the gear disconnected should be done. Thereafter, the first train to pass on Main Line should be dealt as under:

- a) The reception of the first train should not be on green aspect of first stop signal.
- b) The departure signal for run through trains should be taken off once the train has occupied the berthing portion by seeing the relevant indications on panel/VDU.
- c) This should be applicable for all Up and Down direction trains.
- d) Exception to these instructions will be in case of stations where reception or reception and departure signals are kept in 'Off' position to avoid stalling of loads due to rising gradients or site conditions. Necessary instructions may be incorporated in working rules to admit these trains into the yard at restricted speed by keeping the departure signal 'On'.

**Para 2.4:** Circuit alteration works, where change in existing wiring is to be carried out in Relay Room. should be done during traffic block/Non interlocking only. Detailed modalities regarding the same may be issued by PCOM and PCSTE jointly.

This issues in consultation with Signal Engineering directorate of Ministry of Railways.



**(Tejendra Singh)  
Jt. Dir. Traffic Trans.-III  
Railway Board**

**Copy to:** 1. PCOMs, All Zonal Railways  
2. PCSTEs, All Zonal Railways  
3. AM/T, AM (Signal), PEDTT (M), PED(SM), PED/Safety, Railway Board

रेलवे बोर्ड के संयुक्त कार्यविधि आदेश (जे.पी.ओ.) दिनांक- 10.06.2023 में किया गया सुधार का हिन्दी संस्करण - एस एंड टी गियर्स के लिए डिस्कनेक्शन/रिकनेक्शन प्रोटोकॉल।

(संदर्भ:- (i) Rly. Boards JPO No, 2021//Sig./21/Safety Performance dated 10.06.2023.

(ii) Joint Dir.Traffic Trans.-III, Railway Board letter no. 2023/TT-IV/9/2, Dated-16.06.2023)

उपरोक्त कार्यविधि आदेश पारा 2.3 & 2.4 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है जो निम्नलिखित है-

पैरा 2.3 : काम पूरा होने के बाद, स्टेशन मास्टर द्वारा पुनः कनेक्शन की स्वीकृति से पहले, डिस्कनेक्ट किए गए गियर का पत्राचार परीक्षण किया जाना चाहिए। इसके बाद, मेन लाइन पर गुजरने वाली पहली ट्रेन को निम्नानुसार व्यवहार किया जाना चाहिए :

- (क) पहली ट्रेन का रिसेप्शन प्रथम स्टॉप सिग्नल के हरे संकेत पर नहीं होना चाहिए।
- (ख) पैनल/वीडियू पर प्रासंगिक संकेतों को देखकर ट्रेन के बर्थिंग हिस्से पर कब्जा (occupy) कर लेने के बाद रन थ्रू ट्रेनों के लिए प्रस्थान सिग्नल को ऑफ किया जाना चाहिए।
- (ग) यह सभी अप और डाउन दिशा की ट्रेनों के लिए लागू होना चाहिए।
- (घ) इन निर्देशों का अपवाद उन स्टेशनों के मामले में होगा जहां बढ़ते ढलान या साइट की स्थिति के कारण लोड को रोकने से बचने के लिए रिसेप्शन या रिसेप्शन और प्रस्थान सिग्नल 'ऑफ पोजिशन' में रखे जाते हैं। प्रस्थान सिग्नल को 'चालू' रखते हुए प्रतिबंधित गति से इन ट्रेनों को यार्ड में प्रवेश करने के लिए कार्यकारी नियमों में आवश्यक निर्देश शामिल किए जा सकते हैं।

पैरा 2.4 : सर्किट परिवर्तन कार्य, जहां रिले रूम में मौजूदा वायरिंग में परिवर्तन किया जाना है, केवल ट्रैफिक ब्लॉक/नॉन इंटरलॉकिंग के दौरान ही किया जाना चाहिए। इसके संबंध में विस्तृत तौर-तरीके PCOM और PCSTE द्वारा संयुक्त रूप से जारी किए जा सकते हैं। इसे रेल मंत्रालय के सिग्नल इंजीनियरिंग निदेशालय के परामर्श से जारी किया जाता है।